कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

क्रमांकः–एफ–1 ( )स्थापना/2018/ दिनांकः– .2018

वास्तेः–

श्री श्याम किशोर शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा
म.नं.1437, वीरतेजा स्कूल के पास, शान्तिपुरा
ग्राम केलवाडा पोस्ट केलवाडा, तह. शाहबाद
जिला बारां 325216 मोबा.नं. 9782268609

विषयः– राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 के चयनित अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में।

प्रसंगः– प्रशासनिक सुधार (अनु.–03)विभाग, जयपुर का पत्रांक प.1(6)प्र.सु./अनु.–3/2017 दिनांक 18.07.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र दिनांक 18.07.2018 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यर्थियों में अस्थाई रूप से सफल घोषित लिपिक ग्रेड–द्वितीय पद हेतु अभ्यर्थी की सूची प्राप्त हुई है।

अतः सूची अनुसार अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.08.18 को निर्धारित कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक निम्न मूल दस्तावेजों के साथ अपनी पात्रता की जांच हेतु व्यक्तिशः उपस्थित होंवें। संबंधित अभ्यर्थी को इस संदर्भ में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का किराया व भत्ता आदि देय नहीं होगा।

1. कक्षा 10 का मूल प्रमाण पत्र जिसमे जन्म दिनांक अंको व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित हो।
2. कक्षा 10 से स्नातक की परीक्षाओं की मूल अंक तालिकाएं।
3. मूल निवास प्रमाण पत्र।
4. आवेदक का पहचान पत्र।
5. यदि आवेदक का चयन उत्कृष्ठ खिलाड़ी के कारण हुआ है तो उत्कृष्ठ खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र।
6. यदि आवेदक का चयन भूतपूर्व सैनिक के कारण हुआ है तो भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र।
7. विधवा/परित्यक्ता होने संबंधी दस्तावेज।(विधवा–पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता–परित्यक्ता प्रमाण पत्र जो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो।)
8. यदि आवेदक का चयन अनुसचित क्षेत्र में हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र में निवासी होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र।
9. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र एवं 01.06.2002 के पश्चात 02 से अधिक संतान नहीं होने/विधवा, परित्यक्ता महिला द्वारा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र तथा धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध मे वचनबद्वता (Undertaking)
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
11. अन्य पिछड़ वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलियर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नही होना चाहिए।
12. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के अधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदकों के मामलें में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नही है। अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम के साथ जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करें, तो ही मान्य होगा।

13. कम्प्यूटर दक्षता के संबंध में RSCIT या इसके समकक्ष अन्य कोर्स का प्रमाण पत्र।
14. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र।

15. अधिक जानकारी के लिये यह सूचना बारां जिले की वेबसाईट baran.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

11

अति.जिला कलक्टर,
बारां

क्रमांकः–एफ–1 ( )स्थापना/2018/2346 दिनांकः–28.08.2018

प्रतिलिपिः–एनालिस्ट कम–प्रोग्राम (उपनिदेशक) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बारां को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना को बारां जिले की वेबसाईट पर अपलोड करावें व साथ ही एस.एम.एस. द्वारा भी अभ्यर्थियों को सूचित किये जाने की व्यवस्था करावें।

अति.जिला कलक्टर,
बारां